प्रेषक,

संख्या- 3063 /15-17-88-63(121)/88

श्री घनश्याम गौतम,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सेक्रेटरी,
सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन,
2/19 एंड विहार अंसारी रोड,
दरियागंज, नई दिल्ली ।

शिक्षा अनुभाग-17 लखनऊ: दिनांक 26 अगस्त, 1988

विषय:- डरमन माइनर स्कूल,भीमताल, नैनीताल को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने के संबंध में ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डरमन माइनर स्कूल,भीमताल, नैनीताल को सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन,नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किए जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों/ शर्तों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

(क) सामान्य प्रतिबन्ध

1- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।

2- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान पिछड़ी, पिछड़े एवं निर्धन आय वर्ग के छात्रों के लिए सुरक्षित रखेंगे तथा उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/केन्द्रीय शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

3- संस्था को राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जायेगा ।

4- संस्था के सभी अध्यापक/अध्यापिकायें प्रशिक्षित होंगे। संस्था के लिए शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता-प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान एवं अन्य भत्ते नहीं दिए जायेंगे ।

5- राज्य सरकार अथवा शिक्षा विभाग द्वारा जो भी आदेश निर्गत किए जायेंगे उनका पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा ।

6- विद्यालय में अनुशासन तथा शिक्षा का स्तर उच्चकोटि का रखा जायेगा ।

(ख) विशेष प्रतिबन्ध

1- विद्यालय की प्रबन्ध समिति रजिस्टर्ड होगी तथा समय-समय पर नियमानुसार उसका नवीनीकरण भी कराया जायेगा ।

..

2- विद्यालय में प्रत्येक कक्षा व अनुभाग के लिए उचित आकार का एक कक्ष-कक्ष, दो वैकल्पिक विषय कक्ष, दो प्रयोगशाला कक्ष तथा चार प्रशासनिक कक्ष की व्यवस्था की जायेगी ।

3- कर्मचारियों की सेवा-शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता-प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा-निवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

4- विद्यालय का लेखा-जोखा निर्धारित प्रपत्रों/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

5- विद्यालय के अध्यापकों/कर्मचारियों के लिए प्रावीडेन्ट फण्ड स्कीम लागू नहीं है। प्रावीडेन्ट फण्ड स्कीम तुरन्त लागू की जाय।

6- सेवा नियमों में महिला कर्मचारियों के लिए प्रसूति अवकाश का स्पष्ट प्राविधान किया जाय।

7- शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त वार्षिक शुल्क के रूप में छात्रों से रु0 1000/= लिया जाना उचित नहीं है।

8- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान की व्यवस्था की जाय।

2- उक्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी समय उक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त "अनापत्ति प्रमाण पत्र" वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

[एल0एस0 गौतम]
संयुक्त सचिव।

संख्या- 7063 [1]/15-17-98-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1- शिक्षा निदेशक, उ0प्र0, शिविर कार्यालय, लखनऊ ।
2- उप शिक्षा निदेशक, कुमायूँ मण्डल, कुमायूँ ।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, नैनीताल ।
4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ ।
5- प्रबन्धक, हरमन माइनर स्कूल, भीमताल, नैनीताल ।

आज्ञा से,

[एल0एस0 गौतम]
संयुक्त सचिव।